

पृष्ठां.कमांक...../सां.अनु./2020

झाबुआ, दिनांक 29/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. शासकीय अभिभाषक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

2020

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

सार्वजनिक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्र. क्यू-5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 एवं कार्यालय के विविध कार्यालयीन आदेश क्र. 5 दिनांक 25.03.2020, विविध कार्यालयीन आदेश क्र. 5-ए दिनांक 25.03.2020, विविध कार्यालयीन आदेश क्र. क्यू-7 दिनांक 29.03.2020, क्यू-9 दिनांक 29.03.2020, क्यू-11 दिनांक 29.03.2020 के अनुक्रम में पुनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.04.2020 तक केवल निम्न व्यक्तियों को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जावेगा:-

1- ऐसे अधिवक्ता/पक्षकार, जिनके द्वारा जिला न्यायालय की ईमेल आईडी dcourtjha-mp@nic.in एवं श्री दिनेश जैन, प्रशासनिक अधिकारी से मोबाईल नंबर 9406659922 पर एवं ई-मेल आईडी dinesh7816@gmail.com पर निम्न जानकारी प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की गई है :-

1. अधिवक्ता का नाम :
2. पक्षकार का नाम :
3. अधिवक्ता/पक्षकार के आवेदन दिनांक से विगत 14 दिन के पूर्व झाबुआ जिले के बाहर आवागमन की जानकारी :
4. न्यायालय परिसर में प्रवेश का प्रयोजन :

2- उपरोक्त आवेदन प्रवेश दिनांक को दोपहर 1 बजे तक उपरोक्त ई-मेल आईडी पर प्रस्तुत किया जा सकेगा, उसके बाद प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट :- केस डायरी/रिमाण्ड प्रस्तुत करने वाले आरक्षक को न्यायालयीन स्टॉफ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को भी 4 से 5 बजे तक ही प्रवेश दिया जावेगा।



(महेश कुमार शर्मा)

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.